फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री शंभूसिंह
विपक्षी :– श्री जगदीश
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.
पत्रावली संख्या : 141/22

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 19.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्धयन किया। उभय पक्षकारान की बहस को सुना। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में बताया की जिस आराजी नंबर पर प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उस आराजी की प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री को माननीय न्यायालय भू प्रबंधंन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 31.08.2022 को अपास्त कर दी गई है जिससे डिक्री ही खारिज होने से प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि ही रिकॉर्ड में गलत अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में माननीय न्यायालय भू प्रबंधंन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 31.08.2022 को स्वीकार किया। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का दिनांक 21.07.2022 को न्यायालय में पेश कर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया था। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2018 के विरूद्व रूष्ट होकर माननीय न्यायालय भू प्रबंधंन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 को प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री को अपास्त कर जवाब दावा व साक्ष्य सबुत के आधार पर निर्णय दिये जाने का आदेश दिया। अतः वर्तमान व नये परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की डिक्री के अपास्त कर दिये जाने से पत्थरगढी करवाये जाने हेतु पात्र नहीं समझता है जिससे प्रार्थी द्वारा पेश पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वतः प्रभावहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 16:26:27 IST
Reason: SelfAttested